सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

जन आधार

प्रशासनिक प्रतिवेदन

2023-24

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण
योजना भवन, जयपुर-302005

जन आधार

सरकारी सुविधा पाने का एक ही आधार

जन आधार एक सुविधाएं अनेक

विभिन्न योजनाओं और सेवाओं के लाभ
केवल जन आधार के सत्यापन के माध्यम से

जन कल्याण की योजनाओं के लाभ पात्र लाभार्थियों को
जन आधार डेटाबेस पर आधारित **स्वत: सन्देश (Auto intimation)**
एवं **स्वत: अनुमोदन (Auto approval)/**
मानित अनुमोदन (Deemed approval) की सुविधा आरम्भ।

जन आधार के लिए नामांकन करें या परिवार के सदस्यों के नाम जुड़वायें

स्वयं द्वारा	ई-मित्र पर	सूचनाओं में संशोधन
स्वयं की SSO ID से ऑनलाइन पोर्टल पर मुफ़्त	नया नामांकन व सदस्य जुड़वाना मुफ़्त	ई-मित्र पर निर्धारित दरों पर

“मेरा अधिकार मेरे हाथ”

अधिक जानकारी के लिए

हेल्पडेस्क 0141-2850287, 2923377 अथवा 181 पर कॉल करें
या https://janaadhaar.rajasthan.gov.in देखें।

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण, आयोजना विभाग

अनुक्रमणिका

1	राजस्थान जन आधार योजना	1
2	राजस्थान जन आधार प्राधिकरण का संगठनात्मक ढाँचा	5
3	विभाग में स्वीकृत, भरे हुये व रिक्त पदों का विवरण	9
4	प्रगति एवं उसकी विगत तीन वर्षों से तुलना	11
5	आलोच्य वर्ष की विशेष पहल एवं उपलब्धियाँ	13
6	संचालित प्रमुख गतिविधियाँ	15
7	राजस्थान जन आधार प्राधिकरण के बजट प्रावधान	23
8	राजस्थान जन आधार प्राधिकरण के महत्त्वपूर्ण सम्पर्क सूत्र	25
9	अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी सम्पर्क सूत्र	27

जन सूचना पोर्टल पर प्रशासनिक प्रतिवेदन को देखने/डाउनलोड करने की प्रक्रिया

https://jansoochna.rajasthan.gov.in/

जन सूचना पोर्टल-2019

सशक्त नागरिक, खुशहाल राजस्थान

चयन करें / Click Here

योजनाओं के लाभार्थी
Click here for Schemes

DEPARTMENTS | SCHEMES

Jan Aadhaar

RTI Right To Information

अपने क्षेत्र के जन आधार लाभार्थियों की सूचना देखें
Know about Jan Aadhaar beneficiaries in your area

जन आधार लाभार्थियों की जानकारी
Benefits Distributed to Jan-Aadhaar Families

Benefits Distributed to Jan Aadhaar Families
जन आधार के लाभार्थियों की जानकारी

क्षेत्र: शहरी / ग्रामीण

जिला *: चयन करें जिला

पंचायत समिति *: चयन करें पंचायत समिति

अवधि/Period *: चयन करें अवधि/Period

- चयन करें अवधि/Period
- From 18.12.2019 to 30.06.2020
- From 01.07.2020 to 31.12.2020
- 2021P1
- 2021P2
- 2022P1

खोजें | क्लियर

फाइल का नाम/File Name	फाइल डाउनलोड करें
Ajmer-Ajmer-WardNo39-V-37-2021.pdf	अधिक जानकारी/Get More

फाइल डाउनलोड करें
PDF Click Here To Open File

इस प्रकार क्लिक करने पर वांछित प्रतिवेदन की फाइल का अवलोकन/डाउनलोड किया जा सकता है।

1 राजस्थान जन आधार योजना

1.1 जन आधार योजना

राजस्थान के परिवर्तित बजट 2019–20 में विभिन्न योजनाओं के लाभ सरलता, सुगमता एवं पारदर्शी रूप से आमजन तक पहुँचाने के उद्देश्य से **'एक नम्बर, एक कार्ड, एक पहचान'** की विचारधारा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए **'राजस्थान जन आधार योजना'** की घोषणा की गई थी। इसके साथ ही इस योजना के क्रियान्वयन के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण का गठन किए जाने और ई–मित्र परियोजना को भी इस प्राधिकरण के अधीन लाए जाने की घोषणा की गई थी।

उक्त बजट घोषणा के क्रियान्वयन की दिशा में दिनांक 18.12.2019 को **राजस्थान जन आधार योजना, 2019** को प्रारम्भ किया गया है। राज्य के सभी विभागों की योजनाओं के लाभ सरलता, सुगमता एवं पारदर्शी रूप से आमजन तक पहुँचाने के उद्देश्य से **''एक नम्बर एक पहचान''** की विचारधारा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए **''राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम, 2020''** को प्रवृत्त किया गया है।

1.2 जन आधार योजना की वैधानिक पृष्ठभूमि

जन आधार योजना का क्रियान्वयन राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम, 2020 (2020 का अधिनियम सं. 3) पर आधारित है। साथ ही इस अधिनियम की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा राजस्थान जन आधार प्राधिकरण नियम, 2021 बनाये गये हैं, जिन्हें राजस्थान राजपत्र में दिनांक 04 अगस्त, 2021 को प्रकाशित करवाया गया है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक स्वतंत्र प्राधिकरण ''राजस्थान जन आधार प्राधिकरण'' का भी गठन किया जा चुका है।

ये दोनों दस्तावेज प्राधिकरण की वेबसाइट– janaadhaar.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध हैं। अधिनियम के कुछ महत्त्वपूर्ण Sections तथा कुछ Rules यहाँ भी उद्धर्णित किए जा रहे हैं।

1. **राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम, 2020 के अनुच्छेद 6 के अनुसार**
   जन आधार कार्ड के लिए नामांकन – (1) राज्य का प्रत्येक निवासी कुटुंब, अपने मुखिया के माध्यम से या किसी सबसे बड़े या वयस्क सदस्य के माध्यम से, अपने सभी सदस्यों की पहचान सूचना और फोटो विहित रीति से प्रस्तुत करके जन आधार कार्ड अभिप्राप्त करने का हकदार होगा।

2. **राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम, 2020 के अनुच्छेद 14 के अनुसार**
   सेवाओं का परिदान – (1) राज्य सरकार, लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं और सेवाओं की प्राप्ति के लिए किसी कुटुंब या उसके किन्हीं भी सदस्यों की पहचान शर्त के रूप में स्थापित करने के प्रयोजन के लिए जन आधार प्लेटफार्म के माध्यम से परिदत्त की जाने वाली सेवाओं की सूची केन्द्रीय अधिनियम की धारा 7 के अधीन अधिसूचित कर सकेगी।

   अनुच्छेद 14 के ही उप अनुच्छेद (3) के अनुसार ई–मित्र नेटवर्क का प्रशासन, नियंत्रण और प्रबंध प्राधिकरण में निहित होगा।

3. **राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम, 2020 के अनुच्छेद 3 के अनुसार**
   लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं और सेवाओं की प्राप्ति के लिए आधार और/या जन आधार का अधिप्रमाणन और सबूत आवश्यक होना – राज्य सरकार, किन्हीं ऐसी लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं और सेवाओं, जिनका व्यय राज्य की समेकित निधि से उपगत किया जाता है, की प्राप्ति के लिए किसी व्यष्टि की पहचान शर्त के रूप में स्थापित करने के प्रयोजन के लिए, यह अपेक्षा कर सकेगी कि ऐसा व्यष्टि आधार संख्यांक और/या जन आधार आई.डी. का अधिप्रमाणन करवाये या उसके कब्जे का सबूत दे या ऐसे किसी व्यष्टि के मामले में, जिसे कोई आधार संख्यांक और कोई जन आधार आई.डी. समनुदेशित नहीं की गयी है वहाँ ऐसा व्यष्टि नामांकन के लिए आवेदन करे। परन्तु जब तक किसी व्यष्टि को आधार संख्यांक और/या जन आधार आई.डी. समनुदेशित नहीं की जाती है तब तक उस व्यष्टि को लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं और सेवाओं के परिदान के लिए पहचान के अनुकल्पी और व्यवहार्य साधनों की प्रस्थापना की जायेगी।

4. **राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम, 2020 के अनुच्छेद 15 के अनुसार**
   हिताधिकारी को प्रसुविधा का सीधा अन्तरण – राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट कर सकेगी कि कोई भी लोक कल्याणकारी प्रसुविधा, जब कभी ऐसी प्रसुविधाएं नकद

प्रकृति की हों, अधिप्रमाणन के पश्चात हिताधिकारी के बैंक खाते में, और यदि लोक कल्याणकारी प्रसुविधाएं किसी कुटुंब की हैं तो कुटुंब के मुखिया के बैंक खाते में, ऐसी रीति से, जो विहित की जाये, सीधे अंतरित की जायेंगी।

5. **राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम, 2020 के अनुच्छेद 18 के अनुसार** सामाजिक लेखा परीक्षा – (1) लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं के परिदान की सामाजिक लेखापरीक्षा ऐसे अन्तरालों पर और ऐसी रीति से, जो ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम सभाओं में और नगरीय क्षेत्रों में वार्ड समितियों में या राज्य सरकार द्वारा, अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट किसी अन्य फोरम में विहित की जाये, की जायेगी।

   अनुच्छेद 18 के ही उप अनुच्छेद (2) के अनुसार लोक कल्याणकारी प्रसुविधाओं के परिदान की विशिष्टियाँ राज्य के जन सूचना पोर्टल पर सदैव अपलोड की जायेंगी।

   स्पष्टीकरण – इस धारा के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति 'ग्राम सभा' और 'वार्ड समिति' का वही अर्थ होगा जो उन्हें राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं. 23) और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं. 18) में क्रमशः समनुदेशित किया गया है।

6. **जन आधार प्लेटफार्म के माध्यम से** विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के लाभ प्रदान किये जा रहे हैं। जन आधार परिवार में दर्ज सदस्यों को नगद व गैर नगद लाभ संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित प्रकिया अनुरूप दिया जा रहा हैं। जिसके फलस्वरूप जन आधार परिवार को प्राप्त लाभ का सम्पूर्ण विवरण एक ही स्थान पर प्राप्त किया जा सकता है। जन आधार परिवार एवं संबंधित विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट संख्या जिससे संबंधित विभाग उक्त परिवार को चिन्हित करता हैं, कि सीडिंग की जाती है। जिससे दोहराव की सम्भावना नगण्य हो जाती हैं। जिससे आमजन में पारदर्शिता स्थापित होती हैं। उदाहरणतः जन आधार मोबाइल एप द्वारा भी जन आधार परिवार को प्राप्त लाभ परिवार का सदस्य एप के माध्यम से देख सकता हैं।

7. **नियमों में संशोधन** – राजस्थान जन आधार प्राधिकरण नियम, 2021 के नियम 38 में संशोधन, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण (संशोधन) नियम, 2022 के तहत किया गया है, जो दिनांक 23 नवम्बर 2022 से प्रभावी है। यह नियम जन आधार में सूचना संशोधन कराने से संबंधित है।

   जन आाधार आई.डी. धारक परिवार का मुखिया या कोई वयस्क सदस्य, परिवार के

मुखिया या किसी भी सदस्य की पहचान सूचना, फोटो या पात्रता के दस्तावेज में परिवर्तन के लिए आवेदन कर सकेगा या इन नियमों के उपबंधों के अनुसार जन आधार आई.डी. में कुटुम्ब के मुखिया को बदलने के लिए या किसी भी सदस्य को उसमें जोड़ने या हटाने के लिए निवेदन कर सकेगा।

परन्तु जन आधार आई.डी. धारक परिवार के मुखिया या किसी भी सदस्य के नाम, जन्म की तारीख, लिंग, श्रेणी या जाति में द्वितीय और पश्चात्वर्ती परिवर्तन जिला कलक्टर के पूर्व अनुमोदन से ही अनुज्ञात किया जा सकेगा। जिला कलक्टर समस्त सुसंगत तथ्यों और साक्ष्य पर विचार करने और आवेदक को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, 30 दिन के भीतर ऐसे परिवर्तन के निवेदन को अनुमोदित या अस्वीकृत कर सकेगा।

1.3 राजस्थान जन आधार योजना के मुख्य उद्देश्य

राजस्थान जन आधार योजना के मुख्य उद्देश्य निम्नानुसार है –

1. राज्य के निवासी परिवारों की जन–सांख्यिकीय एवं सामाजिक–आर्थिक (Demographic and Socio-Economic) सूचनाओं का डेटा बेस तैयार कर प्रत्येक परिवार को **''एक नम्बर, एक कार्ड, एक पहचान''** उपलब्ध करवाना।
2. जन आधार कार्ड को परिवार एवं उसके सदस्यों की पहचान (Proof of Identity), पते (Proof of Address) तथा संबंध (Proof of Relationship) के दस्तावेज के रूप में मान्यता दिलाकर सम्पूर्ण राज्य के निवासियों को लाभ पहुंचाना।
3. सरकार द्वारा प्रदत्त जनकल्याण के लाभों की योजनाओं हेतु परिवार/परिवार के सदस्यों की पात्रता का निर्धारण करना।
4. पात्र लाभार्थियों के नकद लाभ, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से उनके बैंक खातों में और गैर–नकद लाभ, आधार अधिप्रमाणन उपरान्त घर के समीप हस्तांतरित करवाना।
5. महिला सशक्तिकरण एवं वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना।
6. ई–मित्र तंत्र को जन आधार प्राधिकरण के अधीन लाकर उसके विनियमन द्वारा प्रभावी नियंत्रण व संचालन करना।
7. राज्य में विद्यमान तकनीकी तथा इलेक्ट्रॉनिक ढाँचे का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण किया जाना।
8. राज्य के निवासियों को जनकल्याण की योजनाओं के लाभों के अतिरिक्त ई–कॉमर्स और बीमा सुविधाओं का ग्रामीण क्षेत्रों में विस्तार कराना।

2 राजस्थान जन आधार प्राधिकरण का संगठनात्मक ढाँचा

2.1 राजस्थान जन आधार प्राधिकरण

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम, 2020 के तहत राजस्थान जन आधार प्राधिकरण का मुख्य सचिव की अध्यक्षता में निम्नानुसार गठन किया गया –

क्र.सं.	नाम / पदनाम	प्राधिकरण में पद
1	मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2	प्रभारी शासन सचिव, वित्त विभाग	शासकीय सदस्य
3	प्रभारी शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग	शासकीय सदस्य
4	प्रभारी शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग	शासकीय सदस्य
5	प्रभारी शासन सचिव, पंचायती राज विभाग	शासकीय सदस्य
6	उप महानिदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (NIC)	शासकीय सदस्य
7	राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित	गैर–शासकीय सदस्य
8	राज्य सरकार द्वारा नाम निर्देशित	गैर–शासकीय सदस्य
9	प्रभारी शासन सचिव, आयोजना विभाग	सदस्य सचिव

2.1.1 राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की आयोजित बैठकों का विवरण

क्र.सं.	प्राधिकरण की बैठक	बैठक की दिनांक
1.	प्रथम बैठक	30.07.2020
2.	द्वितीय बैठक	16.04.2021
3.	तृतीय बैठक	09.05.2022

2.2 कार्यकारिणी समिति

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति का प्रभारी शासन सचिव, आयोजना एवं पदेन महानिदेशक की अध्यक्षता में निम्नानुसार गठन किया गया–

क्र.सं.	नाम/पदनाम	कार्यकारिणी में पद
1.	प्रभारी शासन सचिव, आयोजना विभाग एवं पदेन महानिदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण	अध्यक्ष
2.	आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग एवं पदेन अति. महानिदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण	सदस्य
3.	विशिष्ठ/संयुक्त शासन सचिव, आयोजना विभाग	सदस्य
4.	वित्त विभाग द्वारा नाम निर्देशित अधिकारी, जो संयुक्त शासन सचिव की रैंक से अनिम्न हो	सदस्य
5.	निदेशक तकनीकी, राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड	सदस्य
6.	निदेशक वित्त, राजकॉम्प इन्फो सर्विसेज लिमिटेड	सदस्य
7.	निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग एवं पदेन अति. महानिदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण	सदस्य सचिव

2.2.1 राजस्थान जन आधार प्राधिकरण की कार्यकारिणी समिति की आयोजित बैठकों का विवरण

क्र.सं.	कार्यकारिणी समिति की बैठक	बैठक की दिनांक
1.	प्रथम बैठक	22.10.2020
2.	द्वितीय बैठक	01.04.2021
3.	तृतीय बैठक	19.07.2021
4.	चतुर्थ बैठक	06.12.2021
5.	पंचम बैठक	28.04.2022
6.	षष्ठम बैठक	14.09.2022
7.	7वीं बैठक	13.12.2022
8.	8वीं बैठक	15.05.2023

2.3 राज्य स्तर पर कार्यालय व प्रशासनिक व्यवस्था

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण का प्रशासनिक विभाग आयोजना विभाग है एवं प्राधिकरण का कार्यालय राज्य स्तर पर योजना भवन, तिलक मार्ग, जयपुर पर स्थित है। प्राधिकरण की क्रियान्वयन एजेन्सी राजकॉम्प इन्फो. सर्विसेज लिमिटेड, जयपुर है। प्राधिकरण में वर्तमान में कुल 44 पद स्वीकृत हैं। इन पदों में निदेशक, संयुक्त निदेशक, सहायक निदेशक, सांख्यिकी अधिकारी, सहायक सांख्यिकी अधिकारी तथा अन्य अराजपत्रित कार्मिक पदस्थापित हैं। साथ ही तकनीकी प्रकोष्ठ में उपनिदेशक, प्रोग्रामर, सहायक प्रोग्रामर तथा सूचना सहायक तथा लेखा शाखा में एक वरिष्ठ लेखाधिकारी और एक सहायक लेखाधिकारी–प्रथम कार्यरत हैं। विभाग में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विस्तृत विवरण अध्याय 3 पर उपलब्ध है।

2.4 जिला स्तर तथा ब्लॉक स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण के अन्तर्गत विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु जिला एवं ब्लॉक स्तर पर प्रशासनिक व्यवस्था निम्नानुसार है–

2.4.1 जिला स्तर पर

जिला कलेक्टर	जिला जन आधार योजना अधिकारी
उप/सहायक निदेशक, जिला आर्थिक एवं सांख्यिकी	अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी
एस.ए./उप निदेशक (एसीपी), जिला सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार	अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी (तकनीकी)

2.4.2 ब्लॉक स्तर पर

उपखण्ड अधिकारी	उपखण्ड जन आधार योजना अधिकारी
विकास अधिकारी/ ब्लॉक सांख्यिकी अधिकारी	अतिरिक्त ब्लॉक जन आधार योजना अधिकारी
प्रोग्रामर	अतिरिक्त ब्लॉक जन आधार योजना अधिकारी (तकनीकी)

जन आधार पंजीकरण कैसे करवाएं?

- राज्य के निवासी जन आधार पोर्टल पर स्वयं अथवा नजदीकी ई-मित्र पर निःशुल्क पंजीयन करा सकते हैं।
- सूचनाओं के सत्यापन उपरान्त 10 अंकीय जन आधार परिवार पहचान संख्या तथा जन आधार कार्ड जारी।
- परिवार के प्रत्येक सदस्य को 11 अंकीय पहचान संख्या भी जारी।

जन आधार पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज

आधार कार्ड

परिवार के सभी सदस्यों की पासपोर्ट साइट फोटो

परिवार के मुखिया की बैंक पास बुक की प्रति

परिवार के पते एवं पहचान के दस्तावेज की प्रति

अन्य दस्तावेज
(नामांकन प्रपत्र के अनुसार)

नामांकन प्रपत्र हेतु वेबसाइट
www.janaadhaar.rajasthan.gov.in

3 विभाग में स्वीकृत, भरे हुये व रिक्त पदों का विवरण

(दिनांक : 31 दिसम्बर 2023)

क्र.सं.	स्वीकृत पद का नाम	कुल स्वीकृत पद	भरे हुए पद	रिक्त पद
1.	निदेशक	1	0	1
2.	संयुक्त निदेशक	1	1	0
3.	वरिष्ठ लेखाधिकारी	1	1	0
4.	एसीपी (उपनिदेशक)	1	1	0
5.	सहायक निदेशक	4	2	2
6.	सांख्यिकी अधिकारी	3	2	1
7.	प्रोग्रामर	1	1	0
8.	सहा. लेखाधिकारी– प्रथम	1	1	0
9.	सहा. सांख्यिकी अधिकारी	7	7	0
10.	सांख्यिकी निरीक्षक	3	3	0
11.	सहायक प्रोग्रामर	1	1	0
12.	संगणक	3	1	2
13.	सूचना सहायक	5	3	2
14.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	1	1	0
15.	शीघ्र लिपिक	2	0	2
16.	वरिष्ठ सहायक	1	0	1
17.	कनिष्ठ सहायक	3	3	0
18.	सहायक कर्मचारी	5	4	1
	योग	**44**	**32**	**12**

विभिन्न योजनाओं और सुविधाओं का लाभ जन आधार प्लेटफॉर्म से ही

- जन आधार में अपने परिवार के सभी सदस्यों की e-KYC करवाएं ताकि सभी सरकारी योजनाओं के लाभ निरंतर व निर्बाध मिलते रहें।
- किसी आपात स्थिति में असुविधा से बचने के लिए जन आधार में परिवार के सभी सदस्यों की सूचना अप टू डेट रखें।
- परिवार के मुखिया अथवा किसी सदस्य की मृत्यु के बाद उसका नाम जन आधार से हटवाएं तथा हटाने से पूर्व नए प्रस्तावित मुखिया की आधार, बैंक खाता संख्या एवं मो.नं. अवश्य अपडेट करवा दें।
- जन आधार में मुखिया परिवर्तन, सदस्य को हटाना, सदस्य का अन्य जन आधार में स्थानांतरण एवं परिवार का विभाजन की प्रक्रिया प्रथम एवं द्वितीय सत्यापन के बाद ही पूरी होती है।
- EWS से संबंधित लाभ प्राप्ति के लिए अपना EWS प्रमाण पत्र बनते ही स्वत: ही जन आधार से जुड़ जाता है।

सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आज ही जन आधार के लिए नामांकन करें या परिवार के सदस्यों के नाम जुड़वायें

स्वयं के द्वारा

नामांकन
जन आधार पोर्टल
https://janaadhaar. rajasthan.gov.in
के माध्यम से निःशुल्क

अद्यतन
स्वयं की SSO ID के
माध्यम से निःशुल्क

ई-मित्र के माध्यम से

नामांकन व सदस्य जुड़वाना निःशुल्क

अद्यतन निर्धारित राशि का भुगतान करके

4 प्रगति एवं उसकी विगत तीन वर्षों से तुलना

4.1 भौतिक प्रगति

4.1.1 जन आधार नामांकन

विवरण	इकाई / संख्या			
वर्ष	मार्च 2021 तक	मार्च 2022 तक	मार्च 2023 तक	दिसम्बर 2023 तक
नामांकित परिवार	179.85 लाख	189.51 लाख	196.46 लाख	200.93 लाख
नामांकित सदस्य	672.67 लाख	729.46 लाख	766.61 लाख	781.42 लाख

4.1.2 प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण–

विवरण	इकाई / संख्या			
वर्ष	मार्च 2021 तक	मार्च 2022 तक	मार्च 2023 तक	दिसम्बर 2023 तक
जन आधार प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के लिए जुड़ी हुई योजनाओं / सेवाओं की संख्या	114	114	76	126
कुल नकद व गैर–नकद लाभों के ट्रांजेक्शन (संख्या करोड़ों में)	89.37 करोड़	112.78 करोड़	137.62 करोड़	143.35 करोड़
लाभार्थियों के बैंक खातों में नकद लाभ हस्तांतरण (राशि करोड़ों में)	39583.39 करोड़	46676.85 करोड़	57749.40 करोड़	65133.92 करोड़

4.2 वित्तीय प्रगति (2023–24)

(दिनांक 1.4.2023 से 31.12.2023 तक, राशि लाख रुपये)

क्र.सं.	गतिविधि	प्राधिकरण कार्यालय द्वारा पीडी खाते से व्यय	जिला सांख्यिकी कार्यालय द्वारा प्राधिकरण बजट मद से व्यय	कुल व्यय
1	प्राधिकरण में कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों का वेतन	215.34	0.00	215.34
2	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का वेतन (होमगार्ड)	3.79	0.00	3.79
3	कार्यालय व्यय	7.40	9.19	16.59
4	विज्ञापन, विक्रय और प्रचार–प्रसार व्यय	49.23	8.34	57.57
5	वाहन किराया व्यय	6.58	77.34	83.92
6	लेखन सामग्री व्यय	0.92	1.97	2.89
7	मुद्रण व्यय	0.00	20.97	20.97
8	कम्प्यूटर एवं प्रिन्टर क्रय व्यय	2.08	0.00	2.08
9	यात्रा व्यय	1.00	0.00	1.00
10	परियोजना प्रबंधन शाखा (PMU) हेतु व्यय	44.61	0.00	44.61
11	पेंशन अन्शदान भुगतान	0.00	0.00	0.00
12	राजकॉम्प को भुगतान	0.00	0.00	0.00
	योग	**330.95**	**117.81**	**448.76**

5 आलोच्य वर्ष की विशेष पहल एवं उपलब्धियाँ

5.1 सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समस्त लाभ जन आधार कार्ड से

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट 2020–21 में आमजन को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समस्त लाभ जन आधार कार्ड के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने की घोषणा की थी। इस घोषणा की अनुपालना में तथा इसके क्रियान्वयन हेतु प्रदेश में लगभग 42.12 लाख ऐसे एन.एफ.एस.ए. परिवारों को चिन्हित किया गया जिनका राशन कार्ड का डेटा जन आधार के डेटा से मैप नहीं था। इस मैपिंग का कार्य चरणबद्ध रूप से किया गया है। यह कार्य अब लगभग पूर्ण है और यह राज्य की एक अद्वितीय पहल रहेगी कि देश में राशन कार्ड को पूर्णतः समाप्त करके एक अन्य पारिवारिक एकीकृत डेटाबेस के माध्यम से आमजन को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के समस्त लाभ दिये जाएंगे।

5.2 जन आधार प्लेटफॉर्म का डीबीटी भारत पोर्टल से एकीकरण

जन आधार प्लेटफॉर्म के माध्यम से राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा प्रदायित लाभों को डीबीटी भारत पोर्टल पर प्रदर्शित किया गया है। विभिन्न विभागों की 162 योजनाएँ दिसम्बर 2023 तक डीबीटी भारत पोर्टल पर Onboard की गयी है। डी.बी.टी. भारत मिशन पोर्टल पर जन आधार के माध्यम से हस्तांतरित लाभों का प्रदर्शन राष्ट्रीय स्तर पर डी.बी.टी. की उपलब्धियों का अन्य राज्यों से तुलना का एक अच्छा माध्यम है।

5.3 विशेष उपलब्धियाँ एवं पुरस्कार

1. राजस्थान जन आधार योजना ने गोवा में आयोजित ईटी गवर्नमेंट डिजीटेक कॉन्क्लेव और अवार्ड–2023 में "सामाजिक क्षेत्र में डिजिटल परिवर्तन" श्रेणी के लिए स्वर्ण पुरस्कार जीता।
2. राजस्थान जन आधार योजना वार्षिक SKOCH राष्ट्रीय पुरस्कारों के सेमीफाइनल के लिए अर्हता प्राप्त की है।
3. **द्वारा (DWARA) रिसर्च, चेन्नई** ने अन्य राज्यों के विभिन्न पारिवारिक डेटाबेस जैसे मध्य प्रदेश के समग्र, कर्नाटक के कुटुम्ब, उत्तर प्रदेश की फैमिली आईडी, हरियाणा के परिवार पहचान पत्र इत्यादि का अध्ययन करने के बाद जन आधार योजना को देश का सर्वश्रेष्ठ परिवार एवं डीबीटी डेटाबेस घोषित किया है।
4. नीति आयोग ने **"लाभ हस्तांतरण के लिए पारिवारिक डेटाबेस की महत्ता"** विषय पर कार्यशाला के दौरान जन आधार योजना का भी प्रदर्शन किया।
5. देश भर में पारिवारिक डेटाबेस के महत्व और बारीकियों को समझाने के लिए जन आधार योजना को लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ़ एडमिनिस्ट्रेशन (एलबीएसएनएए) मसूरी में युवा आईएएस अधिकारियों के सामने भी प्रस्तुत किया गया है।
6. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeITY) भी राज्य स्तर पर जन आधार परिवार डेटाबेस की सफलता को देखते हुए केंद्रीय स्तर पर एक पारिवारिक डेटाबेस बनाने की योजना बना रहा है।

6 संचालित प्रमुख गतिविधियाँ

6.1 जन आधार नामांकन

राज्य के सभी निवासी परिवार, नामांकन कराने व जन आधार कार्ड प्राप्त करने हेतु पात्र है। परिवार की 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला को परिवार की मुखिया बनाया जाता हैं। यदि परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला नहीं है तो 21 वर्ष या उससे अधिक आयु के पुरूष को मुखिया बनाया जाता है। यदि परिवार में 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला और 21 वर्ष या उससे अधिक आयु का पुरूष भी नहीं हो तो परिवार में अधिकतम आयु का कोई भी सदस्य परिवार का मुखिया होता है। जन आधार नामांकन स्वयं के द्वारा विभागीय वेबसाइट पर अथवा ई—मित्र केंद्र पर निःशुल्क कराया जा सकता है।

6.1.1 जन आधार नामांकन की प्रक्रिया एवं अनिवार्य दस्तावेज

जन आधार नामांकन के लिए आवेदनकर्ता वेबसाइट https://janaadhaar.rajasthan.gov.in/ पर उपलब्ध Jan Aadhaar Enrollment के माध्यम से नामांकन कर सकता है अथवा परिवार का कोई भी सदस्य नजदीकी ई—मित्र केन्द्र पर जाकर वांछित पात्रता से संबंधित सूचना प्रस्तुत कर जन आधार कार्ड प्राप्त करने के लिए आवेदन कर सकता है। प्रथमतः परिवार की मुखिया के नाम आधार, जन्मतिथि, मोबाइल नं. के कॉलम भरकर OTP प्राप्त किया जाता है। उसके उपरान्त सिस्टम द्वारा आवेदक को रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तत्पश्चात् सिटीजन रजिस्ट्रेशन में जाकर आधार दर्ज कर दिया जाता है। OTP भरने के बाद नामांकन पृष्ठ प्रदर्शित हो जाता है। पृष्ठ में व्यक्तिगत एवं पारिवारिक सूचना अंकित की जाती है, इसके उपरान्त सदस्यों का भी तदानुसार पंजीयन किया जाता है। जन आधार नामांकन पूर्ण होने के पश्चात् सफल सत्यापन उपरान्त जन आधार परिवार पहचान संख्या जारी की जाती है।

राजस्थान जन आधार योजना के लिए आवेदन हेतु आवेदक के पास निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक है —

अनिवार्य दस्तावेज

- परिवार के मुखिया एवं परिवार के सदस्यों की आधार कार्ड की प्रति
- परिवार के मुखिया की बैंक पासबुक की प्रति (आवश्यकता होने पर परिवार के अन्य सदस्य के बैंक पासबुक की प्रति)
- परिवार के मुखिया एवं परिवार के सभी सदस्यों के पासपोर्ट साइज फोटो

अन्य दस्तावेज

परिवार के मुखिया के साथ संबंध, पहचान एवं पते के लिए निम्नलिखित दस्तावेज मान्य है। जाति प्रमाण पत्र/जन्म–प्रमाण पत्र/वोटर पहचान पत्र/मनरेगा जॉब कार्ड/बीपीएल कार्ड/पैन कार्ड/ड्राइविंग लाईसेंस/बिजली–पानी–टेलीफ़ोन बिल की कॉपी/एलपीजी कनेक्शन की डायरी/एलआईसी पॉलिसी/पे–स्लिप/प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित पते हेतु प्रमाण का शपथ पत्र। ये दस्तावेज आवश्यकता आधारित है तथा योजनाओं की आवश्यकता के आधार पर अनिवार्य की श्रेणी में आते हैं।

6.1.2 जन आधार नामांकन का सत्यापन

जन आधार नामांकन एवं अद्यतन के समयबद्ध सत्यापन की व्यवस्था निम्नानुसार है –

सत्यापन का क्षेत्र	सत्यापन का स्तर	
	प्रथम सत्यापन	द्वितीय सत्यापन
ग्रामीण क्षेत्र (ब्लॉक स्तर)	ग्राम विकास अधिकारी	ब्लॉक विकास अधिकारी
शहरी क्षेत्र (जिला स्तर एवं अन्य शहरी निकाय)	नगरीय निकायों के आयुक्त/उपायुक्त/अधिशाषी अधिकारी	उपखण्ड अधिकारी

प्रथम व द्वितीय स्तर सत्यापन के कार्य हेतु 10–10 दिवस की समय सीमा निर्धारित है। दोनों स्तरों पर निर्धारित अवधि में सत्यापन नहीं होने पर स्वतः सत्यापन (Deemed) की व्यवस्था है। द्वितीय सत्यापन उपरान्त सिस्टम द्वारा डुप्लिसिटी की जाँच हेतु अनुलिपिकरण किया जाता है। जन आधार नामांकन के सफल सत्यापन उपरान्त जन आधार नंबर जारी किया जाता है जिसके आधार पर जन आधार कार्ड जारी किया जाता है। जन आधार कार्ड में परिवार को 10 अंकीय परिवार पहचान संख्या तथा प्रत्येक सदस्य को 11 अंकीय व्यक्तिगत पहचान संख्या जारी की जाती है।

6.2 जन आधार सूचना में संशोधन/अद्यतन

जन आधार पंजीयन में दर्ज सूचनाओं में किसी भी प्रकार का संशोधन/अद्यतन ई–मित्र या स्वयं द्वारा एस.एस.ओ. के माध्यम से करवाया जा सकता है। जन आधार नामांकित सदस्य द्वारा राज एस.एस.ओ. पर जाकर स्वयं की एस.एस.ओ. प्रोफाइल में जन आधार अपडेट करने के उपरान्त Citizen Apps में उपलब्ध जन आधार आइकन पर जाकर अद्यतन किया जा सकता है। संशोधन/अद्यतन परिवार के मुखिया/वयस्क सदस्य द्वारा आधार अधिप्रमाणन

के माध्यम से कराया जाता है। निवासी चाहे तो अद्यतित जन आधार ई–कार्ड ई–मित्र/ई–मित्र प्लस/एस.एस.ओ. पर जाकर भी डाउनलोड कर सकता है।

6.2.1 जन आधार संशोधन/अद्यतन की प्रकिया

ई–मित्र पर जाकर जन आधार नामांकन में दर्ज मोबाइल नम्बर पर OTP या आधार अधिप्रमाणन के माध्यम से नामांकन में दर्ज सूचना में संशोधन/अद्यतन या नवीन सूचना अंकित कर सकता है।

एस.एस.ओ. के माध्यम से जन आधार संख्या को एस.एस.ओ. की प्रोफाइल में अपडेट करने के उपरान्त Citizen Apps में उपलब्ध जन आधार आइकन में जाकर संशोधन किया जा सकता है।

6.2.2 संशोधन/अद्यतनों के प्रकार

अ. राजस्थान जन आधार योजनान्तर्गत जन आधार नामांकन में परिवार के विभाजन की सुविधा प्रदान की गई हैं। इसके अन्तर्गत जन आधार नामांकन में आवश्यकता होने पर किसी भी सदस्य द्वारा नवीन नामांकन किये जाने के स्थान पर उक्त जन आधार नामांकन में से विभाजित किया जा सकता है। यदि उक्त सदस्य विभाजन उपरांत व्युत्पन्न जन आधार नामांकन में परिवार के मुखिया की पात्रता रखता है तो ही SPLIT की प्रक्रिया संभव है। उल्लेखनीय है कि पात्रता पूर्ण होने के उपरांत एक जन आधार में से एक या एक से अधिक सदस्यों जन आधार परिवारों का SPLIT कर नए सृजन किये जा सकते हैं।

ब. **परिवार के जन आधार का एकीकरण (MERGE)** : राजस्थान जन आधार योजनान्तर्गत जन आधार नामांकन में एकीकरण की सुविधा प्रदान की गई है। इसके अन्तर्गत दो या दो से अधिक जन आधार नामांकन में आवश्यकता होने पर उक्त नामांकनों को एक जन आधार नामांकन में एकीकृत किया जा सकता है।

स. **मुखिया का दूसरे जन आधार में स्थानांतरण (HoF Transfer)** : राजस्थान जन आधार योजनान्तर्गत जन आधार नामांकन में एक परिवार के मुखिया के दूसरे जन आधार में स्थानांतरण की सुविधा भी प्रदान की गई है। इसके अन्तर्गत जन आधार नामांकन में आवश्यकता होने पर मुखिया का स्थानान्तरण कर किसी अन्य जन आधार नामांकन या नवीन नामांकन में सदस्य या मुखिया के रूप में जोड़ा जा सकता है।

6.3 जिला कलक्टर के समक्ष अपील के माध्यम से संशोधन/अद्यतन

यदि मुखिया या किसी भी सदस्य के नाम, जन्म की तारीख, लिंग, श्रेणी या जाति में एक से अधिक बार संशोधन कराया जाता है, तो आवेदक द्वारा जिला कलेक्टर को अपील की जाती है। जिला कलेक्टर संशोधन से संबंधित समर्थित दस्तावेजों पर विचार करने हेतु व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर आवेदक को प्रदान करता है, तत्पश्चात् जिला कलेक्टर संशोधन हेतु की गई अपील को अनुमोदित या अस्वीकृत करता है। जिला कलक्टर के समीप तीन अवसर देने के बावजूद भी उपस्थित नहीं होने पर इस प्रकार की अपील निरस्त कर दी जाती है।

6.4 परिवारों/व्यक्तियों का पंजीकरण निरस्त करना

यदि किसी अपात्र परिवार/व्यक्ति द्वारा छलपूर्ण प्रलेख (Fake Document) प्रस्तुत कर जन आधार पंजीयन करवा लिया है/कार्ड प्राप्त कर लिया है तो ऐसे जन आधार पंजीयन/कार्ड को स्थायी रूप से नियमानुसार निरस्त किया जा सकता है। जन आधार नामांकन एवं संख्या को निरस्त करने की अनुशंसा शहरी क्षेत्र में उपखण्ड द्वारा तथा ग्रामीण क्षेत्र में ब्लॉक विकास अधिकारी द्वारा जिला कलेक्टर को की जाती है।

6.5 जन आधार ई–केवाईसी

जन आधार ई–केवाईसी द्वारा परिवार का या परिवार के किसी सदस्य का आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से उसकी फोटो, जन्मतिथि, लिंग और नाम को डिजिटल रूप से सत्यापित किया जाता है। प्रत्येक परिवार के मुखिया 5 वर्ष से अधिक उम्र के सदस्य द्वारा आधार संबंधी ई–केवाईसी करवाया जाना अनिवार्य है। ई–केवाईसी के पश्चात् ही किसी भी जन आधार में संशोधन/अद्यतन संभव है।

6.6 जन आधार प्लेटफॉर्म से विभिन्न विभागों की लोक कल्याणकारी योजनाओं को जोड़कर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण

जन आधार कार्ड के माध्यम से सरकार की विभिन्न लोककल्याण की योजनाओं के लाभ सरलता, सुगमता एवं पारदर्शी रूप से आमजन तक पहुँचाने के उद्देश्य से जन आधार प्लेटफॉर्म से विभिन्न विभागों की लोक कल्याणकारी योजनाओं को चरणबद्ध रूप से जोड़ा जा रहा है। वर्तमान में राज्य के 28 विभागों की 126 विभागीय योजनाओं तथा 34 सेवाओं को जन आधार प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा चुका है। जोड़ी गई योजनाओं एवं सेवाओं के विभागीय पोर्टल्स

को जन आधार प्लेटफॉर्म से एकीकृत कर केन्द्र व राज्य की विभिन्न योजनाओं के लाभ सीधे, बेहतर व समयबद्ध रूप से प्रदान करने हेतु "प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer-DBT)" की व्यवस्था लागू की गई हैं। "प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT)" की यह व्यवस्था केन्द्र व राज्य सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है।
राजस्थान राज्य में लाभ हस्तांतरण की विभिन्न योजनाओं की प्रक्रियाओं के आईटी ऑटोमेशन तथा विभिन्न विभागीय पोर्टल्स के जन आधार पोर्टल से एकीकरण के पश्चात केवल पात्र लाभार्थियों को लाभ हस्तांतरण करने व अपात्र लाभार्थियों को हटाने के पश्चात राज्य को करोड़ों रुपयों की बचत हुई है। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण में राजस्थान एक अग्रणी राज्य है।

वर्तमान में लाभार्थियों को नकद व गैर–नगद लाभों की प्रदायगी सुनिश्चित हो सके, इसके लिए पात्रता अनुसार देय सभी पारिवारिक नकद लाभ परिवार के मुखिया के बैंक खाते में तथा व्यक्तिगत नकद लाभ संबंधित लाभार्थी के बैंक खाते में (यदि लाभार्थी का बैंक खाता नहीं है तो परिवार की मुखिया के बैंक खाते में) हस्तांतरित किये जाते हैं। इसी प्रकार पात्रतानुसार देय सभी पारिवारिक गैर–नकद लाभ परिवार के किसी भी वयस्क सदस्य को तथा व्यक्तिगत गैर–नकद लाभ संबंधित लाभार्थी (अवयस्क लाभार्थी की स्थिति में परिवार के मुखिया) को आधार अधिप्रमाणन उपरान्त हस्तांतरित किये जाते हैं।

जन आधार डीबीटी प्लेटफॉर्म को एपीआई के माध्यम से विभिन्न दस्तावेज़ जारी करने वाले डेटाबेस के साथ एकीकृत किया गया है। यह एकीकरण दस्तावेजों को अपलोड करने के लिए कहे बिना लाभार्थियों के पात्रता दस्तावेजों के स्वतः प्रमाणीकरण को सक्षम बनाता है। इसलिए, नामांकन और लाभ हस्तांतरण को सहायक दस्तावेजों की न्यूनतम आवश्यकता के साथ संसाधित किया जाता है।

6.7 सामाजिक अंकेक्षण करवाना

राज्य की विभिन्न लोककल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रदान किये गये नकद व गैर–नकद समस्त लाभों के लेखों की पारदर्शिता को बनाये रखने के लिए इनके लेखे–जोखों का सामाजिक अंकेक्षण कराया जाता है। इसके लिए लोककल्याणकारी प्रसुविधाओं के परिदान से संबंधित ग्राम पंचायतवार/वार्डवार शासकीय अभिलेख को, लोक सूचना के लिए छः माह के अन्तराल पर **जन सूचना पोर्टल** पर अपलोड किया जाता है। अब तक दिनांक 18.12.2019 से 31.12.2023 की अवधि के शासकीय अभिलेख जन सूचना पोर्टल पर अपलोड किये जा चुके हैं। जिसका प्रारूप निम्नलिखित तालिका में दर्शाया गया है–

राजस्थान सरकार

जन-आधार

जन आधार योजना प्लेटफॉर्म के माध्यम से विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं के हस्तान्तरित किये गए लाभों का प्रशासनिक प्रतिवेदन

अवधि	:	01-07-2022 से 31-12-2022
ग्राम पंचायत	:	नांदरी
पंचायत समिति	:	सिकराय
जिला	:	दौसा

योजनावार लाभ की स्थिति

ग्राम पंचायत का नाम :नांदरी

अवधि : 01-07-2023 से 31-12-2023

क्र.स.	योजना का नाम	कुल लाभान्वित परिवार	सदस्य इकाई	कुल लाभ का वितरण
1	राशन - गेंहू (किग्रा)	690	3234	81481
2	राजश्री योजना (चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण) (रू.)	20	21	52500
3	सामाजिक सुरक्षा पेंशन (रू.)	447	635	1825500
4	इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना (रू.)	8	8	27000
5	मुख्यमंत्री युवा सम्बल योजना (रू.)	22	23	201400
6	इंदिरा महिला शक्ति - महिला एवं बालिकाओ को निशुल्क RS-CFA प्रशिक्षण (रू.)	1	1	7200
7	इंदिरा महिला शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना RS-CIT (रू.)	7	7	18900
8	जननी सुरक्षा योजना (रू.)	24	24	37139
9	इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना (रू.)	177	177	1203600
10	इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना (रू.)	333	1543	166153

जन आधार योजना के अंतर्गत वर्ष 2023 (01-07-2023 से 31-12-2023) में परिवार वार वितरित लाभों का विवरण

जिला:	दौसा	पंचायत समिति:	सिकराय
ग्राम पंचायत :	नंदरी	गाँव :	नंदरी

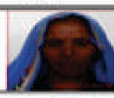

परिवार क्रम संख्या	1	नाम:	प्रीतम बाई	पिता का नाम:	रामसहाय
पति /पत्नी का नाम	रामकेश मीना	सदस्य: 5	जन आधार ID: ••••••8839	माता का नाम	गुलकंदी

योजना		सदस्य ईकाई	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवंबर	दिसंबर	कुल
राशन	गेहू (किग्रा)	5	25	25	25	25	25	25	150
नकद लाभ का योग (रु.)			0	0	0	0	0	0	0

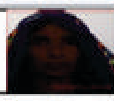

परिवार क्रम संख्या	2	नाम:	मिश्री देवी	पिता का नाम:	छीतर
पति /पत्नी का नाम	मल्ला राम मीना	सदस्य: 8	जन आधार ID: ••••••3545	माता का नाम	पांची देवी

योजना		सदस्य ईकाई	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवंबर	दिसंबर	कुल
राशन	गेहू (किग्रा)	8	25	25	25	25	25	25	150
नकद लाभ का योग (रु.)			0	0	0	0	0	0	0

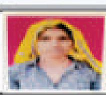

परिवार क्रम संख्या	3	नाम:	अनीता देवी	पिता का नाम:	रामेश्वर
पति /पत्नी का नाम	रामकेश मीना	सदस्य: 4	जन आधार ID: ••••••3550	माता का नाम	मोहर बाई

योजना		सदस्य ईकाई	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवंबर	दिसंबर	कुल
राशन	गेहू (किग्रा)	4	25	25	25	25	25	25	150
इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना (रु.)		4	0	216	0	0	0	0	216
नकद लाभ का योग (रु.)			0	216	0	0	0	0	216

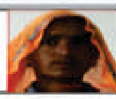

परिवार क्रम संख्या	4	नाम:	प्याली देवी	पिता का नाम:	बद्री लाल
पति /पत्नी का नाम	सम्पत	सदस्य: 5	जन आधार ID: ••••••3566	माता का नाम	बड़ी देवी

योजना		सदस्य ईकाई	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवंबर	दिसंबर	कुल
राशन	गेहू (किग्रा)	5	20	20	20	20	20	20	120
नकद लाभ का योग (रु.)			0	0	0	0	0	0	0

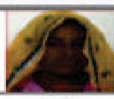

परिवार क्रम संख्या	5	नाम:	प्रेम देवी मीना	पिता का नाम:	गोरधन
पति /पत्नी का नाम	प्रेम सिंह मीना	सदस्य: 4	जन आधार ID: ••••••3578	माता का नाम	सुखबाई

योजना		सदस्य ईकाई	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवंबर	दिसंबर	कुल
राशन	गेहू (किग्रा)	4	15	20	20	20	20	20	115
नकद लाभ का योग (रु.)			0	0	0	0	0	0	0

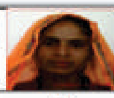

परिवार क्रम संख्या	6	नाम:	सुगन्ता बाई मीना	पिता का नाम:	हरगोविंद मीना
पति /पत्नी का नाम	किशन सहाय मीना	सदस्य: 4	जन आधार ID: ••••••3584	माता का नाम	लाड़बाई

योजना	सदस्य ईकाई	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवंबर	दिसंबर	कुल
इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना (रु.)	4	0	416	0	0	0	0	416
नकद लाभ का योग (रु.)		0	416	0	0	0	0	416

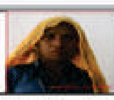

परिवार क्रम संख्या	7	नाम:	ललिता देवी	पिता का नाम:	मूल चंद
पति /पत्नी का नाम	रमेश चंद	सदस्य: 6	जन आधार ID: ••••••3606	माता का नाम	नत्थी देवी

योजना		सदस्य ईकाई	जुलाई	अगस्त	सितम्बर	अक्टूबर	नवंबर	दिसंबर	कुल
राशन	गेहू (किग्रा)	6	30	30	30	30	30	30	180
नकद लाभ का योग (रु.)			0	0	0	0	0	0	0

सत्यमेव जयते
राजस्थान सरकार
जन सुविधाओं
का नया आधार
जन आधार
नाम, जन्म की तारीख, लिंग, श्रेणी या जाति में एक बार से अधिक संशोधन कलेक्टर के समक्ष अपील स्वीकृत होने के उपरांत ही किया जाता है।
जन आधार योजना है
राष्ट्रीय स्तर पर
स्वर्ण पुरस्कार
से सम्मानित
एक नम्बर
एक कार्ड
एक पहचान
मेरा अधिकार मेरे हाथ
राजस्थान जन आधार प्राधिकरण, आयोजना विभाग,
योजना भवन, जयपुर, राजस्थान

7 राजस्थान जन आधार प्राधिकरण के बजट प्रावधान

(राशि लाख रुपये)

S.NO.	Budget Head/ Activity	BE 2023-24	RE 2023-24	BE 2024-25
1	3454–02–205–03–02 (92) सहायतार्थ अनुदान (संवेतन)	320.00	320.00	352.00
	योग (A) –	**320.00**	**320.00**	**352.00**
2	3454–02–205–03 –02 (12) सहायतार्थ अनुदान (गैर–संवेतन)	1420.00	133.00	1854.00
3	3454–02–789–06–02 (12) सहायतार्थ अनुदान (गैर–संवेतन)	400.00	38.00	522.00
4	3454–02–796–06–02 (12) सहायतार्थ अनुदान (गैर–संवेतन)	900.00	85.00	1176.00
	योग (B) –	**2720.00**	**256.00**	**3552.00**
	कुल योग (A+B) –	**3040.00**	**576.00**	**3904.00**

1. सरकार की जन-कल्याण की योजनाओं/सेवाओं के लाभ
2. पहचान (PoI), पते (PoA) एवं सम्बन्ध (PoR) के प्रमाण के लिए मान्य
3. योजनाओं की पात्रता निर्धारित में सहायक/उपयोगी
4. मोबाइल एप से सरल संचालन एवं सभी लाभों का ब्यौरा उपलब्ध
5. मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा व मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ
6. राजस्थान सरकार की RGHS (राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम) योजना का लाभ

8 राजस्थान जन आधार प्राधिकरण के महत्त्वपूर्ण सम्पर्क सूत्र

क्र.सं.	अधिकारी / कार्यालय	सम्पर्क सूत्र	
		फोन	मेल
1.	मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण	0141-2227254	csraj@rajasthan.gov.in
2.	प्रमुख शासन सचिव, आयोजना एवं महानिदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण	0141-2227200	Secretary.plan@ rajasthan.gov.in
3.	निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग एवं अतिरिक्त महानिदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण	0141-2222740	Dir.des@rajasthan.gov.in
4.	आयुक्त, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग एवं अतिरिक्त महानिदेशक (तकनीकि), राजस्थान जन आधार प्राधिकरण	0141-2222011	Secretary.itc@ rajasthan.gov.in
5.	श्री सीताराम स्वरूप, संयुक्त निदेशक, राजस्थान जन आधार प्राधिकरण	0141-2850218	Janaadhaar.des@ rajasthan.gov.in
6.	श्री गोविन्द प्रसाद गुप्ता, वरिष्ठ लेखाधिकारी	9549781728	Gupta90@yahoo.com
7.	श्री नन्द किशोर शर्मा, एनालिस्ट कम प्रोग्रामर (उपनिदेशक)	9887324855	Nandkishores.doit@ rajasthan.gov.in
8.	श्री अजय भारती, सहायक निदेशक	9414123468	Ajaybharti89@ rajasthan.gov.in
9.	श्री मनीष कुमार गुप्ता, सहायक निदेशक	9414748311	Manish.kumar1986@ gov.in
10.	श्री रवि प्रकाश शर्मा, सांख्यिकी अधिकारी	9529679103	Ravi120475@gmail.com
11.	श्री रमेश चन्द कारीगर, सांख्यिकी अधिकारी	9413285291	rc.karigar@ rajasthan.gov.in
12.	श्री राजकुमार मंगल, सांख्यिकी अधिकारी	9414893643	Rajmangal1970@ gmail.com
13.	श्री ओम प्रकाश खण्डेलवाल, सहायक लेखाधिकारी प्रथम	9772201694	Janaadhaar.des@ rajasthan.gov.in
14.	श्रीमती सुनीता मीणा, प्रोग्रामर	8764145865	Sunitameena2.doit@ rajasthan.gov.in

जन-जन का हक
सीधे जन-जन तक

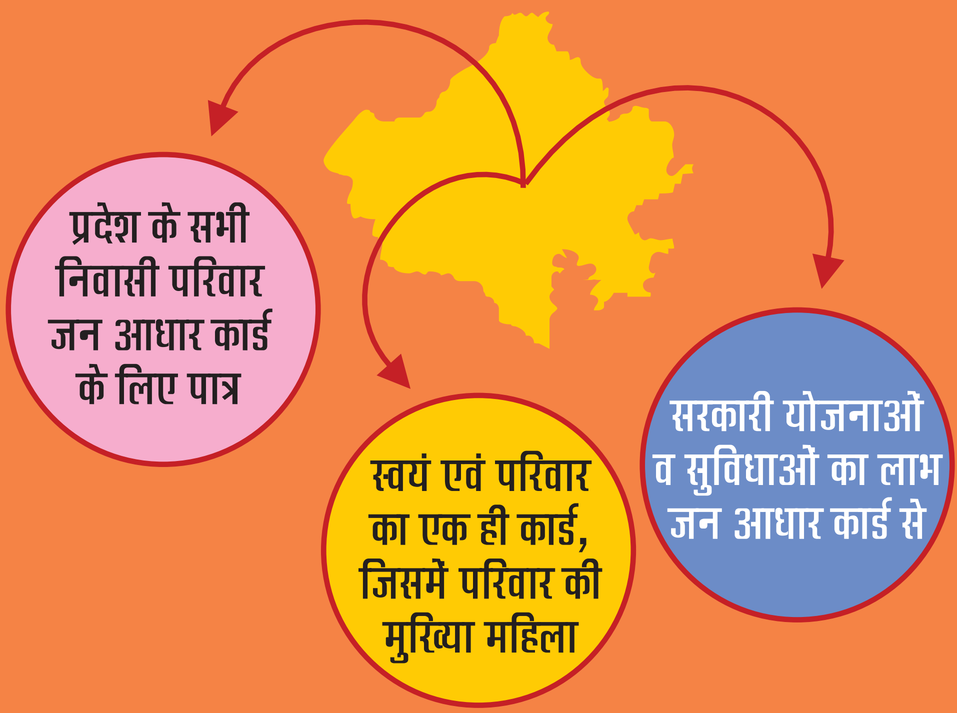

राजस्थान जन आधार योजना की विशेषताएं

- राज्य के निवासी परिवारों की जन-सांख्यिकीय एवं सामाजिक-आर्थिक सूचनाओं का डेटा बेस तैयार करना।
- नकद लाभ प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से तथा गैर-लाभ आधार/जन आधार अधिप्रमाणन उपरान्त देय।
- राज्य के निवासियों को जन-कल्याण की योजनाओं/सेवाओं के लाभ उनके घर के समीप उपलब्ध कराना।
- महिला सशक्तिकरण एवं वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना।

9 अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी सम्पर्क सूत्र

क्र.सं.	अधिकारी / कार्यालय	जिला	सम्पर्क सूत्र	
			फोन	मेल
1.	उप निदेशक सांख्यिकी एवं अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी	अजमेर	0145-2427247	dsoajm.des@rajasthan.gov.in
2.	सहायक निदेशक सांख्यिकी एवं अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी	अलवर	0144-2337827	dsoalw.des@rajasthan.gov.in
3.	सहायक निदेशक सांख्यिकी एवं अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी	बांसवाडा	02962-242530	dsobns.des@rajasthan.gov.in
4.	सहायक निदेशक सांख्यिकी एवं अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी	बाडमेर	02982-220682	dsobrm.des@rajasthan.gov.in
5.	सहायक निदेशक सांख्यिकी एवं अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी	बांरा	07453-237021	dsobrn.des@rajasthan.gov.in
6.	उप निदेशक सांख्यिकी एवं अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी	भरतपुर	05644-222723	dsobha.des@rajasthan.gov.in
7.	सहायक निदेशक सांख्यिकी एवं अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी	भीलवाडा	01482-226188	dsobhl.des@rajasthan.gov.in
8.	उप निदेशक सांख्यिकी एवं अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी	बीकानेर	0151-2226026	dsobkn.des@rajasthan.gov.in
9.	सहायक निदेशक सांख्यिकी एवं अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी	बूंदी	0747-2442364	dsobun.des@rajasthan.gov.in
10.	सहायक निदेशक सांख्यिकी एवं अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी	चित्तौडगढ़	01472-241212	dsochi.des@rajasthan.gov.in

क्र.सं.	अधिकारी / कार्यालय	जिला	सम्पर्क सूत्र	
			फोन	मेल
11.	सहायक निदेशक सांख्यिकी एवं अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी	चूरू	01562-250403	dsochu.des@rajasthan.gov.in
12.	सहायक निदेशक सांख्यिकी एवं अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी	दौसा	01427-224353	dsodau.des@rajasthan.gov.in
13.	सहायक निदेशक सांख्यिकी एवं अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी	धौलपुर	05642-220737	dsodhl.des@rajasthan.gov.in
14.	सहायक निदेशक सांख्यिकी एवं अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी	डूंगरपुर	02964-232205	dsodng.des@rajasthan.gov.in
15.	सहायक निदेशक सांख्यिकी एवं अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी	श्री गंगानगर	0154-2443484	dsosngr.des@rajasthan.gov.in
16.	सहायक निदेशक सांख्यिकी एवं अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी	हनुमानगढ़	01552-262402	dsohnu.des@rajasthan.gov.in
17.	उप निदेशक सांख्यिकी एवं अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी	जयपुर	0141-2203672	dsojpr.des@rajasthan.gov.in
18.	सहायक निदेशक सांख्यिकी एवं अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी	जैसलमेर	02992-251403	dsojsl.des@rajasthan.gov.in
19.	सहायक निदेशक सांख्यिकी एवं अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी	जालोर	02973-222463	dsojal.des@rajasthan.gov.in
20.	सहायक निदेशक सांख्यिकी एवं अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी	झालावाड़	07432-232425	dsojlw.des@rajasthan.gov.in
21.	सहायक निदेशक सांख्यिकी एवं अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी	झुंझुनू	01592-232832	dsojhu.des@rajasthan.gov.in
22.	उप निदेशक सांख्यिकी एवं अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी	जोधपुर	0291-2556560	dsojod.des@rajasthan.gov.in

क्र.सं.	अधिकारी / कार्यालय	जिला	सम्पर्क सूत्र	
			फोन	मेल
23.	सहायक निदेशक सांख्यिकी एवं अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी	करौली	07464-250605	dsokar.des@rajasthan.gov.in
24.	उप निदेशक सांख्यिकी एवं अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी	कोटा	0744-2325997	dsokota.des@rajasthan.gov.in
25.	सहायक निदेशक सांख्यिकी एवं अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी	नागौर	01582-240773	dsongr.des@rajasthan.gov.in
26.	सहायक निदेशक सांख्यिकी एवं अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी	पाली	02932-227512	dsopali.des@rajasthan.gov.in
27.	सहायक निदेशक सांख्यिकी एवं अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी	प्रतापगढ़	01478-220052	dsoprt.des@rajasthan.gov.in
28.	सहायक निदेशक सांख्यिकी एवं अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी	राजसमन्द	02952-221306	dsorjs.des@rajasthan.gov.in
29.	सहायक निदेशक सांख्यिकी एवं अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी	सवाई माधोपुर	07462-220185	dsoswm.des@rajasthan.gov.in
30.	सहायक निदेशक सांख्यिकी एवं अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी	सीकर	01572-255524	dsoskr.des@rajasthan.gov.in
31.	सहायक निदेशक सांख्यिकी एवं अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी	सिरोही	02972-222427	dsosirohi.des@rajasthan.gov.in
32.	सहायक निदेशक सांख्यिकी एवं अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी	टोंक	01432-247386	dsotonk.des@rajasthan.gov.in
33.	उप निदेशक सांख्यिकी एवं अतिरिक्त जिला जन आधार योजना अधिकारी	उदयपुर	0294-2414384	dsoudr.des@rajasthan.gov.in

NOTE

जन सुविधाओं का
नया आधार

जन आधार

जन आधार

सरकारी सुविधा पाने का नया आधार

जन आधार की विशिष्टताएं

राष्ट्र में प्रथम बार

जन आधार के माध्यम से महिला को परिवार की मुखिया घोषित करने का श्रेय राजस्थान को।

राष्ट्र का सबसे बड़ा

पारिवारिक डेटाबेस।

राष्ट्र का पहला

पारिवारिक कार्ड जो कि राशन कार्ड भी है।

राष्ट्र में प्रथम

मूल डेटाबेस जिसके माध्यम से जन कल्याण की सभी योजनाओं के पात्र लाभार्थियों को एक प्लेटफार्म के माध्यम से लाभ हस्तांतरण।

राष्ट्र में प्रथम बार

जन कल्याण की योजनाओं के लाभ पात्र लाभार्थियों को जन आधार डेटाबेस पर आधारित **स्वतः सन्देश (Auto intimation)** एवं **स्वतः अनुमोदन (Auto approval)/ मानित अनुमोदन (Deemed approval)** की सुविधा आरम्भ।

"मेरा अधिकार मेरे हाथ"

अधिक जानकारी के लिए

हेल्पडेस्क 0141-2850287, 2923377 अथवा 181 पर कॉल करें या https://janaadhaar.rajasthan.gov.in देखें।

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण, आयोजना विभाग

राजस्थान जन आधार प्राधिकरण
योजना भवन, जयपुर - 302005
www.janaadhaar.rajasthan.gov.in